समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला आपूर्ति कार्यालय)

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 535/खाद्य, दिनांक 08.02.2017 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 635/खाद्य, दिनांक 13.02.2017 से जहानाबाद जिला को माह फरवरी, 2017 के लिए 43 टैंकलोरी किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है। आई0ओ0सी0 के अधिकृत थोक किरासन तेल विक्रेता के लिए 33 टैंकलोरी एवं बी0पी0सी0एल0 के अधिकृत थोक किरासन तेल विक्रेता के लिए 10 टैंकलोरी का कम्पनीवार कोटा आवंटित है। साथ ही उक्त आदेश एवं आवंटनादेश में निहित निदेश के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.40 लीटर एवं शहरी क्षेत्रों में 1.00 लीटर प्रति लाभुक परिवार को देय है। थोक विक्रेताओं को किरासन तेल उपावंटित कर आवंटन आदेश की एक प्रति अविलंब जिलों से संबंधित आई0ओ0सी0/बी0पी0सी0एल0/एच0पी0सी0एल0 के डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर/एरिया मार्केटिंग मैनेजर तथा राज्य स्तरीय संयोजक–सह–महाप्रबंधक, आई0ओ0सी0, पटना को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि तेल कम्पनियाँ ससमय आवंटित मात्रा विमुक्त कर सके।

अतएव माह फरवरी, 2017 के लिए मासिक उपावंटन प्रखण्डवार/थोक विक्रेतावार/ठेला भेण्डर हेतु निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है:–

क्र0	थोक विक्रेता का नाम	गत माह का अवशेष (लीटर में)	आवंटित मात्रा (लीटर में)	कुल (लीटर में)	प्रखण्ड/ शहरी क्षेत्र का नाम	कुल उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (लीटर में)
1	**मे0 ओम ऑयल एजेन्सी, घोषी**	665.00	144000.00	144665.00	1. घोषी	51568.80
					2. मोदनगंज	38856.00
					3. हुलासगंज (श्री स्वामी परांकुशाचार्य संस्कृतोच्च वि0, हुलासगंज के लिए 200 ली0 सहित)	40740.80
					4. काको	12778.40
					कुल	**143944.00**
2.	**मे0 दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, मखदुमपुर**	750.00	132000.00	132750.00	1. मखदुमपुर (ग्रामीण)	99820.80
					2. मखदुमपुर (शहरी)	4677.00
					3. रतनी फरीदपुर	25111.20
					कुल	**129609.00**
3.	**मे0 प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, जहानाबाद**	10169.60	120000.00	130169.60	1. काको	62418.40
					2. ठेला भेण्डर (25 X 750)	18750.00
					3. रतनी फरीदपुर	44066.40
					कुल	**125234.80**
4.	**मे0 ठाकुर प्रसाद भगवती प्रसाद, जहानाबाद**	25711.90	120000.00	145711.90	1. जहानाबाद (ग्रामीण)	79924.80
					2. जहानाबाद (शहरी)	21143.00
					3. ठेला भेण्डर (26 X 750)	19500.00
					4. विभिन्न थाना	821.00
					जिला सुरक्षित	
					1. मंडल कारा, काको जहानाबाद।	140.00
					2. अनु0जाति कल्याण छात्रावास, जहानाबाद	600.00

					3. अग्निशामक, जहानाबाद	100.00
					4. कोषागार (गार्ड)	15.00
					5. अल्पसंख्यक छात्रावास, जहानाबाद	180.00
					6. पिछड़ा वर्ग छात्रावास, S.S. College, Jehanabad के निकट	200.00
					7. अल्पावास गृह, जहानाबाद	20.00
					8. पुलिस क्लब, जहानाबाद	20.00
					9. श्री यदुनन्दन महतो सेवा संस्थान, जहानाबाद	50.00
					10. फैजुल गोरवा मदरसा, शेखआलमचक, जहानाबाद	60.00
					11. कायनात इन्टरनेशनल स्कूल, काको	10.00
					12. मदरसा जामिया अरबिया, इसलामिया, जाफरगंज, ज0बाद	150.00
					13. मदरसा रजाए मुस्तफा, जहानाबाद	100.00
					14. कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, जहानाबाद	20.00
					15. खादी ग्रामोद्योग, ज0बाद	25.00
					16. दारूल उल्लुम मोहम्मदिया मदरसा, पी0जी0 रोड, ज0बाद	70.00
					17. मदरसा तामिल कुरान, नवीनगर, जहानाबाद	10.00
					18. मदरसा अरबिया इस्लामिया, जहानाबाद	200.00
					19. मदरसा तामिल इस्लाम, बिचली मुहल्ला, जहानाबाद	150.00
					20. कैथोलिक चर्च, ज0बाद	60.00
					कुल	**123568.80**
कुल		**37296.50**	**516000.00**	**553296.50**	**कुल उपावंटन**	**522356.60**

उपरोक्त उपावंटित मात्रा के अनुसार सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ संबद्धता करते हुए उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करायेंगे एवं प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। संपूर्ण उपावंटित मात्रा का उठाव एवं वितरण मासांत फरवरी, 2017 तक सुनिश्चित करायेंगे। ठेला भेण्डरों को उपावंटित किरासन तेल का उठाव कराकर थोक विक्रेता के यहां सुरक्षित रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद ठेला भेण्डर से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आलोक में उपावंटन करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना उपयोगिता प्रमाण–पत्र/वितरण पंजी के सत्यापन के बिना ठेला भेण्डर का आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, जहानाबाद/काको को आदेश दिया जाता है कि जिला सुरक्षित मद से उपावंटित सभी संस्थानों के लिए किरासन तेल का वितरण अपनी–अपनी देख–रेख में करायेंगे एवं संबंधित संस्था को उचित पहचान कर प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे।

सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपावंटित किरासन तेल की मात्रा का वितरण विभागीय निदेश के आलोक में फरवरी, 2017 के लिए लाभुकों से प्राप्त कूपन के आधार पर ही करेंगे एवं इसकी प्रविष्टि डिजीटाईज्ड राशन कार्ड में वितरित मात्रा प्रति माह अंकित करायेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद जिला सुरक्षित मद से विभिन्न संस्थाओं को उपावंटित किरासन तेल की मात्रा का भौतिक सत्यापन अवश्य करायेंगे। किसी संस्था को किरासन तेल की आवश्यकता हो तो अधियाचना पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को आदेश दिया जाता है कि जिला सुरक्षित मद से विभिन्न चिन्हित संस्थाओं को किरासन तेल का उपावंटन के अनुकूल वितरण नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबद्धता करते हुए करायेंगे। सभी थोक किरासन तेल विक्रेता को निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार संबद्ध प्रखण्ड/शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक के द्वारा हस्ताक्षरित एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित उपावंटन आदेश में निहित मात्रा के अनुसार विधिवत् किरासन तेल की आपूर्त्ति करेंगे। सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को यह भी निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों के आवंटित किरासन तेल निर्धारित रोस्टर/तिथियों के अनुसार ससमय करते हुए अपने-अपने प्रतिष्ठानों से संबद्ध प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बीच नियमानुसार संबंधित प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी के समक्ष परिचय-पत्र के आधार पर किरासन तेल का नोजल सिस्टम से ही आपूर्त्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती सभी थानों में रोशनी के लिए उपावंटित मात्रा कुल 821 लीटर किरासन तेल का उठाव संबंधित थोक विक्रेता से कराते हुए तदनुसार अपने स्तर से थानों में वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सभी थोक किरासन तेल विक्रेताओं को आदेश दिया जाता है कि विभागीय निदेशों के आलोक में किरासन तेल जन वितरण प्रणाली विक्रेता को नियमानुसार आपूर्त्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें पुनः निदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का किरासन तेल आपूर्त्ति करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का ड्राम हरा रंग का हो, जिस पर अमिट स्याही से जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या लिखा होना चाहिए।

सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को निदेश दिया जाता है कि वे जन वितरण प्रणाली के परिचय पत्र को देखकर हीं किरासन तेल का आपूर्त्ति करेंगे। किसी भी परिस्थिति में विक्रेता के अलावे किसी अन्य व्यक्ति को किरासन तेल उठाव नहीं करने देंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही थोक विक्रेता की होगी। किसी भी विक्रेता द्वारा रोस्टर के अनुसार तेल नहीं उठाने की स्थिति में थोक विक्रेता बिना अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के रोस्टर से अलग उठाव नहीं करने देंगे।

विभागीय पत्रांक 4190, दिनांक 09.07.2014 के अंतिम कंडिका के अनुसार निर्धारित अवधि अंतर्गत किरासन तेल का उठाव कराया जाना है।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद सभी थोक विक्रेता किरासन तेल का पूर्ण उठाव प्रत्येक माह के 25वीं तिथि तक कराना सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा उठाव किये गये किरासन तेल की मात्रा को सूचना पट्ट में तिथिवार अवश्य अंकित करायेंगे। जिन थोक किरासन तेल विक्रेताओं द्वारा निर्धारित शत-प्रतिशत मात्रा में तेल का उठाव नहीं किया जाता है उनकी सूची उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। थोक विक्रेता के यहां से जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा तेल का उठाव प्रतिनियुक्त प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी के समक्ष हो तथा उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद वितरण पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी न हो सके। तत्संबंधी उठाव एवं वितरण का प्रतिवेदन भी समर्पित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

VIII-01/15-16

ज्ञापांकः- 76 /जि0आ0, दिनांकः- 16/2/17

प्रतिलिपिः- सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप निदेशक (खाद्य), मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संयोजक—सह—महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम, पटना/डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, आई0ओ0सी0 /भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद/अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला जन संपर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी थोक किरासन तेल विक्रेता, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।